

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)**यूआईडी संख्या : **UPFS/2025/143981/CHN/CHANDALI/1044/CFO**दिनांक : **23-01-2025**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SUNBEAM SCHOOL** पता **ARAZI NO. 31,33,34,36,VILLAGE - BAGAHI, DULHIPUR,CHANDALI** तहसील - **MUGHALSARAI** प्लाट एरिया **10319.28 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **8609.20** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **3** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	4	0	13.80 mt.
BLOCK B	3	0	10.35 mt.
BLOCK C	2	0	10.64 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **SUNBEAM SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **24-01-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **YADURAJ KANUDIA** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **25-01-2025** से **25-01-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **SUNBEAM SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **SUNBEAM SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की आख्यानानुसार-आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के अनुसार भवन वर्ष 2005 में निर्मित है। 1- अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के संचालन हेतु अनिल प्रसाद गौड़ प्रशिक्षित कर्मी रखा गया है। 2- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में स्थापित रखा जायेगा। 3- निकास मार्ग एवं सेट बैक अवरोध मुक्त रखना अनिवार्य है। 4- अग्नि सुरक्षा मानकों की अवहेलना करने पर एन0ओ0सी0 निरस्त समझी जायेगी। 5- वार्षिक विद्युत सुरक्षा आडिट कराया जाना तथा सक्षम एजेंसी से वार्षिक फायर आडिट कराया जाना आवश्यक है। शासनादेश संख्या- 187/छ:-पु0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 दिनांक- 07 जनवरी 2022 द्वारा जारी किया जा रहा है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह

प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**KUMAR RAMASHANKAR
TIWARI**

5C3AA38E6E3474DF768C7C7A6E40AF7B473AA08D

25-01-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : **25-01-2025**स्थान : **CHANDALI**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.